1. **यौन संतुष्टि** : यौन एक जैविक आवश्यकता है जिसकी संतुष्टि अत्यावश्यक है। यौन संतुष्टि न होने की स्थिति में एक व्यक्ति असामान्य हो सकता है। विवाह दो या अधिक विषमलिंगियों के बीच यौन संतुष्टि का एक स्थायी साधन है। अब प्रश्न उठता है कि मानव ने यौन संतुष्टि हेतु विवाह नामक संस्था को जन्म क्यों दिया? क्योंकि यौन संतुष्टि तो विवाह से अलग भी हो सकती है अथवा होती है। कामाचार अथवा यौनाचार की अवस्था में भी यौन संतुष्टि होती थी, भलेही यह संबंध में स्वछंदता रहती है लेकिन एक मर्यादा के अंदर। मध्य प्रदेश के मुरिया गौंड अपने समाज की अविवाहित युवक–युवतियों को इकट्ठा रहने देते हैं और उनमें यौन संबंध बुरे नहीं माने जाते। आसाम की पहाड़ियों में बसने वाले कुकी विवाह पूर्व–यौन संबंध को स्वीकार करते हैं। हिमालय के आंचल में स्थित जौनसार बाबर भी विवाह पूर्व यौन संबंध को स्वीकार करते है। पश्चिम भारत के भील में भी विवाह पूर्व यौन संबंध की स्वीकृति प्राप्त होती है। उनमें देवर–भाभी, जीजा–साली, के बीच यौन संबंध की स्वीकृति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कुछ अफ्रीकी तथा आस्ट्रेलियाई जनजातियो में पत्नी आतिथ्य की प्रथा पाई जाती है। ऊपर प्रस्तुत उदाहरणों से प्रतीत होता है कि मात्र यौन संतुष्टि के लिए मानव ने विवाह नामक संस्था का विकास नही किया है। विवाह के आधार पर ही परिवार नामक संस्था का विकास किया गया है। विवाह के आधार पर ही नातेदारी का विकास हुआ है और होता है। विवाह के बाद पुरूष–स्त्री संबंधों के जाल में बंध जाते हैं। एक पुरूष जीजा, पति, बहनोई, फुफा आदि रिश्तेदार के रूप में प्रकट होता हैं उसी प्रकार एक स्त्री पत्नी, भाभी, चाची, आदि के रूप में जानी जाती हैं अतः विवाह मात्र यौन संतुष्टि का साधन नहीं है वरन् परिवार एवं नातेदारी व्यवस्था का आधार होता हैं

2. **संतानोत्पत्ति** : संतानोत्पत्ति विवाह का एक प्रमुख प्रकार्य हैं। चुकि यह यौन संतुष्टि से संबंधित है, अतः यह विवाह के जैविक अवधारणा के अंतर्गत आता है। मानव में अन्य जानवरों की भांति मात्र यौन संतुष्टि द्वारा संतानोत्पत्ति अथवा प्रजनन का कार्य नहीं होता है। इसके लिए सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों एवं नियमों का पालन करते हुए स्त्री एवं पुरूष को पति–पत्नी के रूप में यौन संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता दी जाती है। इस संबंध से उत्पन्न संतान को समाजिकता प्राप्त होती है। उसे किसी व्यक्ति के पुत्र, पोता, अथवा नाती के रूप में जाना जाता है। संतानोत्पत्ति के पश्चात एक पत्नी पर से बांझपन का संदेह समाप्त हो जाता है। पति–पत्नी अब माता–पिता बन जाते हैं। जब वे अपने बच्चों की शादी करते हैं तब सास–ससुर बन जाते हैं। जब उनका पोता–पोती अथवा नाती–नातीन होते हैं तब वे दादा–दादी अथवा नाना–नानी बन जाते हैं। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब उनके नाम पर वंश, कुल, एवं खानदान का नामकरण किया जाता है। हिंदू परंपरा के अनुरूप अगर अग्नि संस्कार पुत्र द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है तब पिता को स्वर्ग अथवा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि संतानोत्पत्ति मात्र जैविक अवधारणा नहीं, वरन् सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक अवधारणा भी है।

3. **लालन–पालन** : अपनी संतान का लालन–पालन तथा भरण–पोषण विवाह का एक प्रमुख कार्य है। भरण–पोषण तथा लालन–पालन एक जैविक अवधारणा है। स्तन पान